

03 ⁰¹/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अर्जी व परोक्ष सरकार
उपस्थित। पत्रावली वाले काग्रेस प्र.पत्र धारा-128
नोट 17/01/2023 को पेश हो।

17 ⁰¹/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय
पक्ष की वरस पर मनन किया। प्रा.पत्र धारा-128
श.ल.रे एक्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में
शामिल दस्तावेजों का मनन किया। वकील प्रार्थी
द्वारा वरस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट
हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-128 का स्वीकार
योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र
धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली
फैसल बुमर होकर दर्ज रजिस्टर से नम्बर से
कम की जाकर शा.० दफ्तर हो।